

न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

(समक्ष : कु. प्रतिभा साठवणे)

सत्र प्रकरण क्रं. 127 / 17

संस्थित दिनांक 24.07.17

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र
बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

----- अभियोजन।

विरुद्ध

1. **अंशुल रैकवार**
पिता लक्ष्मीनारायण रैकवार उम्र 24 वर्ष
निवासी गंजबसौदा (म.प्र.)
2. **मोहन रैकवार**
पिता हप्रसाद रैकवार उम्र 23 वर्ष
निवासी जाजपुर थाना ताखलोन (उ.प्र.)
3. **कमला रैकवार**
पति गोविंद रैकवार उम्र 40 वर्ष
निवासी मालथाने पथरिया जिला सागर (म.प्र.)

----- अभियुक्तगण।

.....
राज्य द्वारा श्री एम. आर. खान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त द्वारा श्री नीलेश डोंगरे अधिवक्ता।
.....

आदेश

(अन्तर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(आज दिनांक 29.11.2017 को पारित किया गया)

1. अभियुक्तगण अंशुल रैकवार, मोहन एवं कमला बाई के विरुद्ध धारा 363, 366 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.04.17 को कालापाठा विवेकानंद वार्ड बैतूल में अवयस्क प्रार्थिया का उसके वैध संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण किया एवं उक्त व्यपहरण इस आशय से किया कि प्रार्थिया अयुक्त संभोग के लिए विवश की जायेगी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अंशुल पर धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. विकल्प में धारा 5ट/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप हैं कि उसने प्रार्थिया के साथ बार-बार बलात्कार किया एवं प्रार्थिया की अवयस्कता के दौरान उस पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

2. प्रकरण में अभियुक्तगण की अभिरक्षा निर्विवादित है।
3. न्यायदृष्टांत – भूपेन्द्र शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश (2003)8 एस.सी.सी. 551 के परिप्रेक्ष्य में एवं धारा 33(7) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पालन में विचारण के दौरान पीड़िता की पहचान प्रकट न हो इसलिए उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, अतः उसे “प्रार्थिया” के रूप में संबोधित किया जाएगा।
4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.17 को प्रार्थिया के पिता रमेश द्वारा आरक्षी केन्द्र बैतूल में इस आशय की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई कि दिनांक 27.04.17 को घर में वह, उसकी मंझली लड़की एवं प्रार्थिया थे। सुबह करीब 8:00 बजे वह सब्जी बेचने शहर चला गया था। फिर शाम को 4:00 बजे अपने घर वापस आया तो उसकी छोटी लड़की अर्थात् प्रार्थिया घर पर नहीं मिली। उसने संभावित स्थानों तथा रिश्तेदारों के यहां पता किया किन्तु पता नहीं चला। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा उसकी लड़की का अपहरण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जाँच के दौरान दिनांक 30.05.17 को प्रार्थिया को दस्तयाब किया गया। प्रार्थिया ने पूछताछ पर बताया कि उसे दिनांक 27.04.17 को अंशुल रैकवार एवं मोहन रैकवार ने फोन करके रेलवे स्टेशन बुलाया तब वह रेलवे स्टेशन बैतूल गई। वहां अंशुल तथा मोहन ने कहा कि तुमसे शादी करना है और शादी का लालच देकर उसे बैतूल से इन्दौर ले गये। इन्दौर से ललितपुर नीतू दीदी के घर ले गये वहां पर नीतू दीदी ने उसकी शादी 10रु. के स्टाम्प पेपर पर अंशुल रैकवार के साथ करा दी। फिर उसकी सास कमलाबाई रैकवार ने भोपाल से साड़ी तथा जेवर लाकर उसे दिये। पुलिस द्वारा प्रार्थिया का दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी.5 बनाया गया। प्र.पी.10 के अनुसार प्रार्थिया का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दिनांक 30.04.17 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.3 तैयार किया गया। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया। प्रार्थिया एवं अभियुक्त की जप्तशुदा स्लाईड्स एफ.एस.एल. जाँच हेतु भेजी गई। प्रार्थिया की उम्र के संबंध में उसके स्कूल से दस्तावेज प्राप्त किए गए। प्रार्थिया के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत न्यायालय में कथन अंकित कराये गये एवं दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत

प्रार्थिया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल के समक्ष अभियोगपत्र पेश किया, जहां से सत्र न्यायाधीश बैतूल के समक्ष प्रकरण उपार्पित हुआ तथा अंतरित होकर प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तगण को निर्णय के चरण क्रं. 1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया, विचारण की मांग की। दं.प्र.सं. की धारा 313 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताया।

6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने प्रार्थिया के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उनकी अनुमति के बिना प्रार्थिया को ले जाकर उसका व्यपहरण किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि प्रार्थिया अयुक्त संभोग करने के लिए विवश की जायेगी, उसका व्यपहरण किया ?
3. क्या अभियुक्त अंशुल ने अवयस्क प्रार्थिया के साथ बार—बार बलात्कार कारित कर उसके साथ गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 एवं 3 —

7. सुविधा की दृष्टि से साक्ष्य विश्लेषण की बारम्बारता को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है।

8. प्रार्थिया (अ.सा.2) की साक्ष्य है कि वह आरोपी अंशुल एवं मोहन रैकवाल एवं कमला को नहीं पहचानती। उसकी आयु 20 वर्ष है। उसकी जन्मतिथि उसे याद नहीं है। लगभग तीन महीने पहले वह घर से बिना बताये अपनी बहन के घर भोपाल चली गयी थी तब उसके पापा ने उसके जाने के बाद कोई सूचना न होने के कारण थाने में रिपोर्ट लेख करायी थी। उसे उसकी बहन वापस बैतूल

लेकर आयी थी। पुलिस ने प्र.पी.5 व प्र.पी.6 का दस्तयाबी पंचनामा एवं सुपुर्दगी पंचनामा तैयार की थी जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी मेडिकल जाँच नहीं करायी और कोई बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने न्यायालय में उसके बयान कराये थे जो प्र.पी.7 है। उसने पुलिस थाने में 10 रु. का स्टाम्प इकरारनामा की फोटोकापी पेश नहीं की थी। प्र.पी.8 के जप्ती पत्रक पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्रार्थिया ने इन्कार किया है कि आरोपी अंशुल से उसका विवाह हो चुका है और इन्कार किया है कि दिनांक 27.04.17 को आरोपी अंशुल उसे जबरदस्ती भगाकर ले गया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी कमला एवं मोहन ने उसका विवाह जबरदस्ती अंशुल के साथ करवाया था एवं इन्कार किया है कि आरोपी अंशुल ने उसके साथ बलात्कार किया। प्रार्थिया ने प्र.पी.9 के पुलिस कथन का ए से ए भाग “मुझे बने है।” का कथन पुलिस को बताने से इन्कार किया है।

9. प्रार्थिया के पिता रमेश सूर्यवंशी (अ.सा.1) की अभिसाक्ष्य है कि उसकी पुत्री की आयु 22-23 वर्ष की है। दिनांक 04.10.17 से दो-ढाई महीने पहले की घटना है वह सब्जी बेचने गया था शाम को चार बजे वापस आया तब प्रार्थिया घर पर नहीं मिली थी। लड़की बिना बताये घर से कहीं चली गई थी तब उसने उसे ढूँढने की कोशिश की किन्तु लड़की नहीं मिली तब उसने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट प्र.पी.1 लेख कराई थी जिस पर से पुलिस ने प्र.पी.2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.3 का नक्शा मौका पुलिस ने बनाया था। साक्षी का कहना है कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति भगाकर ले गया था। उसकी लड़की 15 दिन बाद स्वयं भोपाल से वापस आयी थी और उसने बताया था कि वह बहन के घर भोपाल गयी थी। उसकी लड़की को कोई जबरदस्ती बहला फुसलाकर भगाकर नहीं ले गया था। सूचक प्रश्न के उत्तर में इन्कार किया है कि उसे प्रार्थिया ने घर आकर बताया था कि उसे आरोपी अंशुल और मोहन रैकवार दिनांक 27.04.17 को बहला फुसलाकर जबरदस्ती भगाकर ले गये थे। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसे प्रार्थिया ने बताया था कि आरोपी अंशुल ने उसके साथ बलात्कार किया और जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया। साक्षी को प्र.पी.4 का पुलिस कथन का ए से ए भाग

पढ़कर सुनाये जाने पर उसने उक्त कथन पुलिस को देने से इन्कार किया है।

10. डॉ. मोनिका सोनी (अ.सा.3) ने प्रार्थिया का चिकित्सीय परीक्षण कर प्र.पी.10 की रिपोर्ट देना बताया है। उनके अनुसार परीक्षण पर प्रार्थिया को कोई बाह्य या आंतरिक चोट के निशान नहीं पाये गये थे। साक्षी का कहना है कि उन्होंने प्रार्थिया की वैजाइनल स्लाईड तैयार कर संबंधित आरक्षक को सौंप दी थी।

11. प्रार्थिया (अ.सा.2) ने आरोपीगण द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं आरोपी अंशुल द्वारा उसके साथ बलात्कार करने तथा आरोपी कमलाबाई एवं मोहन द्वारा उसका विवाह जबरदस्ती अंशुल के साथ करा देने से स्पष्टतः इन्कार किया है। प्रार्थिया के पिता रमेश (अ.सा.1) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और प्रार्थिया द्वारा किसी प्रकार की घटना बताने से इन्कार किया है। प्रार्थिया एवं उसके पिता पक्षविरोधी घोषित हुए हैं उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं किन्तु इसके पश्चात् भी उन्होंने अभियोजन पक्ष का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त स्थिति में जबकि स्वयं प्रार्थिया ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ लैंगिक आशय से किसी भी प्रकार की घटना कारित करने से स्पष्टतः इन्कार किया है तब ऐसी स्थिति में प्रार्थिया के वयस्क या अवयस्क होने के संबंध में साक्ष्य के विश्लेषण की कोई अनिवार्यता नहीं रह जाती है।

12. अतः साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 27.04.17 को आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उनकी अनुमति के बिना यह जानते हुए कि प्रार्थिया विवाह या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश की जायेगी, उसका व्यपहरण किया और आरोपी अंशुल द्वारा प्रार्थिया के साथ उसकी अवयस्कता के दौरान जबरन बार-बार बलात्कार कर उस पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

13. फलतः अभियुक्त अंशुल को धारा 363, 366, 376(2)(एन) भा.दं. सं. एवं धारा 50/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा अभियुक्तगण मोहन रैकवार एवं कमला को धारा 363, 366 भा.दं.सं. के अपराध से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है।

14. अभियुक्त अंशुल दिनांक 30.05.17 से 05.07.17 तथा अभियुक्त मोहन एवं कमला दिनांक 30.05.17 से 01.07.17 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अतः उक्त संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर निर्णय के साथ संलग्न किया जाए।

15. प्रकरण में जप्तशुदा स्लाईड्स अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में नष्ट की जाए। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(प्रतिभा साठवणे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

(प्रतिभा साठवणे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)